**न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं**

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | ::: | मांगेराम पूनियां (तहसीलदार) |
| मिसल नं. | ::: | 113/2016 |
| सरकार | बनाम | सत्यवीर पुत्र जालुराम, जाति–जाट, निवासी– बेरला |

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**

निर्णय दिनांक : 23.02.2017

**निर्णय**

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सत्यवीर पुत्र जालुराम, जाति–जाट, निवासी–बेरला द्वारा रोही मौजा बेरला की भूमि ख.नं. 590/393 के कुल रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर लेटरीन बाथरूम बनाकर एवं फसल गेहूँ काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि उसका राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। जवाब में वर्णित किया गया है कि रास्ता बाबत दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 10.08.2011 को गलत रूप से तरमीम किया गया है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में रिपोर्ट भू.अ.नि. सूरजगढ़ से ली गई। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है क्यों कि रिपोर्ट भू.अ.नि. द्वारा स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शा के अनुसार दर्ज रास्ते में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक अतिक्रमण है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है। दिनांक 23.02.2016 को वकील गैर सायल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के आदेश दिनांक 20.02.2017 की प्रति पेश की जिसमें आदेश दिया गया है कि आगामी तारीख तक किसी प्रकार की तोड़ फोड़ मकानात में नही करे, मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के निर्णय के अध्यधीन रहते पालना हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 40 पर वर्ष 2016-17 में रूपये 9/— कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़